माँ शुलिनी माता मन्दिर ट्रस्ट सोलन, तहसील व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं

का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.01.2015 से 31.12.2019

भाग-एक

1 प्रारम्भिकः-

(क) हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) (c) (ii) के अन्तर्गत तथा वितायुक्त एवं सचिव (एल0ए0सी0) हिमाचल प्रदेश सरकार की विज्ञपति संख्याः भाषा (ए)(3)/85-पार्ट-II, दिनाँक 17.01.89 के अनुसार, हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं एवं पूर्व विनियासों के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला को सौपे जाने के दृष्टिगत, माँ शुलिनी माता मन्दिर ट्रस्ट, सोलन (हि0प्र0) के अवधि 01.01.2015 से 31.12.2019 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य इस विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न तालिका में दर्शाये गए अधिकारी मंदिर न्यास में कार्यरत रहेः-

मंदिर आयुक्त	**कार्यकाल**	**मंदिर सभापति**	**कार्यकाल**	**मंदिर अधिकारी**	**कार्यकाल**
श्री मदन चौहान	01/01/15 से 31/12/15	श्री ताशी संदूप	08/2014 से 31/12/2016	श्री जे. एल. चौहान	08/2014 से 31/12/2016
श्री राकेश कंवर	01/01/16 से 31/12/16	श्रीमती एकता कापटा	01/01/2017 से 31/12/17	----------	31/12/2016
श्री राकेश कंवर	01/01/17 से 31/12/17	----------	----------	श्री उत्तम चंद शर्मा	01/01/2017 से 20/07/2018

श्री हंस राज शर्मा	01/01/18 से 23/2/18	श्री आशुतोष गर्ग	01/01/18 से 30/6/18	श्री नारायण चौहान	20/07/2018 से 23/02/2019
श्री विनोद कुमार	23/02/18 से 4/07/19	श्री रोहित राठौर	06/2018 से आगे	श्री गुरमीत जी. नेगी	25/02/19 से आगे
श्री के. सी. चमन	05/07/19 से आगे	------	--------	-------	------

(ग) माँ शुलिनी माता मन्दिर ट्रस्ट, सोलन के अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2015 से 31.12.2019 में समाविष्ट मुख्य पैरों का सारः-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरे का शीर्ष	राशि (लाख ₹) / विवरण
1	8 (iv)	सोने चांदी पंजिका में चांदी का लगभग एक किलो शेष कम दर्शाना |	0.55
2	9	नियुक्तियों के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रस्तुत न करना तथा वेतन एवं परिश्रामिक का भुगतान करना |	19.19
3	10	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित बजट प्रस्तुत न करना तथा व्यय करना |	106.77
4	11	लेखापाल के रूप में कार्यरत सेवानिवृत कर्मचारी को अनियमित भुगतान करना |	1.80
5	12(i)	क्रय ओपचारिकताए पूर्ण किए बिना स्टोर/ स्टॉक का क्रय करना	3.55
6	13 (i)	माता के दरबार के निर्माण हेतु संदिग्ध अधिक भुगतान |	0.13

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट " क "** पर दर्शाई गई है।

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः-

मन्दिर न्यास के अवधि 01.01.2015 से 31.12.2019 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण, श्री पुनीश सागर, सहायक नियंत्रक (ले0प0) द्वारा माँ शूलीनी माता मन्दिर ट्रस्ट, के सोलन स्थित कार्यालय में किया गया । आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 07/15, 07/16, 07/17, 06/18 तथा 06/19 एवं व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह 07/15, 11/16, 06/17, 09/18 तथा 08/19 के लेखाओं का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफो में समाविष्ट किया गया है। यह अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एव अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा कोई सूचना उपलब्ध न करवाने अथवा गलत सूचना उपलब्ध करवाए जाने पर पाई गई अनियमितताओं एवं त्रुटियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः-

मन्दिर न्यास के अवधि 1.01.2015 से 31.12.2019 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹63000/- आँका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हिमालच प्रदेश शिमला-171009 को भेजने हेतु सहायक नियंत्रक (ले0प0) के पत्र संख्या 35 दिनाँक 24/07/20 द्वारा मन्दिर ट्रस्ट से अनुरोध किया गया था तथा मन्दिर ट्रस्ट द्वारा उक्त राशि का भुगतान निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हि०प्र०, शिमला -171009 को रेखाकित बैंक ड्राफ्ट संख्या "072670" दिनाँक 04/08/2020 द्वारा कर दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति :-

(i) मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत न्यास के अवधि 01.01.2015 से 31.12.2019 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है, जिसका विस्तृत विवरण यथा **परिशिष्ट " ख"** पर सलग्न है।

वर्ष	आरंभिक शेष	आय	ब्याज से आय	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
01/01/15 से 31/12/15	24287649	5146771	2340965	31775385	1804646	29970739
01/01/16 से 31/12/16	29970739	5469300.31	2937082	38377121.31	1866966	36510155.31
01/01/17 से 31/12/17	36510155.31	5474819.16	3179849	45164823.47	2006743	43158080.47
01/01/18 से 31/12/18	43158080.47	5888893.94	3309965	52356939.41	2616081	49740858.41
01/01/19 से 31/12/19	49740858.41	5826320.02	3832397	59399575.43	2382544	57017031.43

दिनांक 31/12/2019 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष = ₹57017031.43 /- ------(क)

दिनांक 31/12/2019 को बैंक के बचत खाते के अनुसार शेष = ₹3717031.43 /- ---(1)

दिनांक 31/12/2019 को सावधि जमा में निवेशित राशि = ₹53300000/- -----(2)

दिनांक 31/12/2019 को हस्तगत शेष = शून्य ---- (3)

दिनांक 31/12/2019 को बचत खाता सावधि जमा तथा हस्तगत शेष अनुसार कुल शेष = ₹57017031.43 /- (1+2+3) ---(ख)

दिनांक 31/12/2019 को अंतर = शून्य/- (क-ख)

नोट :- दिनांक 31/03/19 को अंतिम शेष का विवरण **परिशिष्ट " ख -1"** के अनुसार |

5 निवेश :-

मन्दिर न्यास द्वारा दिनांक 31.12.19 को सावधि जमा में ₹5,33,00,000 निवेशित थे जिसका विवरण यथा **परिशिष्ट " ग "** है ।

6 रोकड़ बही के रख रखाव बारे :-

(क) विभिन्न राशियों की प्राप्ति से संबन्धित रसीद संख्याओं की प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की जा रही है जोकि अनियमित है | रोकड़ बही में रसीद संख्याओं के उल्लेख के अभाव में कौन सी राशि किस रसीद संख्या के अंतर्गत प्राप्त हुई थी, इसके मिलान में समय का अनावश्यक अपव्यय होता है | अत: इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा भविष्य में रोकड़ बही में रसीद संख्याओं का उल्लेख किया जाना सुनिश्चित किया जाये |

(ख) आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि चैक द्वारा प्राप्त राशि, गल्ले से गणना के पश्चात प्राप्त राशि तथा विदेशी मुद्रा के रूप में प्राप्त राशि हेतु रसीदें जारी नहीं की जा रही है जबकि नियमानुसार प्रत्येक राशि की प्राप्ति की एवज में रसीद जारी किया जाना अपेक्षित है | अत: स्थिति स्पष्ट की जाये तथा भविष्य में प्रत्येक राशि की प्राप्ति के एवज में रसीदें जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाये |

(ग) आय की पड़ताल के दौरान कई बार आग्रह के पश्चात भी ₹9903/- (माह 07/15) तथा ₹15425/- (माह 07/16) जिन रसीदों द्वारा प्राप्त हुए थे वे रसीदें अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई | अत: स्थिति स्पष्ट की जाये तथा संबन्धित रसीदें आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए |

(घ) रोकड़ बही में माह के अंत में सावधि जमा में निवेशित राशियों का विवरण नहीं दिया जा रहा है | इस कारण रोकड़ बही माह के अंत में मंदिर न्यास कोष में कुल कितनी राशि शेष है इस बारे में सही स्थिति नहीं दर्शाती है | अत: स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इस संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये |

रोकड़ बही के रख रखाव से संबन्धित उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 24 दिनांक 15/07/20 द्वारा भी मंदिर न्यास के ध्यान में लाई गई थी परंतु इनके संदर्भ में कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया |

7 रसीदों / रसीद बुक पंजिका के रख रखाव संबंधी अनियमितताएं :-

(क) मन्दिर न्यास द्वारा तैयार किए गए रसीद स्टॉक पंजिका के अवलोकन पर पाया गया कि इस पंजिका का रख रखाव सही प्रकार से नही किया जा रहा था। स्टाक पंजिका में न तो रसीद बुकों के शेष दर्शाये जा रहे थे तथा न ही इन शेषों को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाया जा रहा था जोकि अनियमित है | इस कारण वित्तीय अनियमितताओं की संभावना भी बनी रहती है | इस अनियमितता से संबन्धित कुछ प्रकरण निम्न तालिका में दर्शाये गए है | अत: स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये |

क्रम संख्या	रसीद बुक स्टॉक पंजिका पृष्ठ संख्या	टिप्पणी
1	9	पृष्ठ में उल्लेखित रसीद बुकों के शेष न तो दर्शाये गए थे तथा न ही सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाए गए थे	
2	13	यथोपरि	

(ख) अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि रसीद बुकों के बाहर रसीद बुक में संलग्न रसीदों की संख्या के बारे में सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन नही करवाया जा रहा था। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी यह अनियमितता मंदिर न्यास के ध्यान में लाई गई थी परंतु इस अनियमितता के संदर्भ में कोई कार्रवाई न करना मंदिर न्यास की लापरवाह कार्यशैली को दर्शाता है | इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्न तालिका में दर्शाये गए है | अत: स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये |

क्रम संख्या	रसीद बुक का विवरण
1	4801-4900
2	4701-4800
3	5201-5300
4	5301-5400
5	3901-4000
6	3401-3500
7	4301-4400

रसीद बुक पंजिका / रसीदों बुकों के रख रखाव से संबन्धित उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 25 दिनांक 15/07/20 द्वारा भी मंदिर न्यास के ध्यान में लाई गई थी परंतु इनके संदर्भ में कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया |

(ग) गल्ला पंजिका पृष्ठ संख्या 36 के अनुसार दिनांक 26/06/18 को मंदिर न्यास को ₹29880/- canadian doller के रूप में प्राप्त हुए थे परंतु कितने dollar प्राप्त हुए थे, इस संदर्भ में अभिलेख पर उल्लेख नहीं किया गया था | अत: स्थिति स्पष्ट की जाये तथा अनुपलना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये |

8 सोना एवं चांदीः-

(i) अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित सोने एवं चांदी की स्थिति यथा परिशिष्ट " घ " है |

(ii) सोने एवं चांदी से सम्बन्धित अभिलेख का सही रख रखाव न करनाः-

सोने एवं चांदी के पंजिका में की गई प्रविष्टियों के अवलोकन पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान 0.75 मिलीग्राम सोने तथा 16.17 किलोग्राम चांदी की प्राप्ति श्रद्धालुओं/पुजारी से दर्शाई गई थी | यह प्राप्तियां किन से प्राप्त की गई, किस रसीद के अन्तर्गत प्राप्त की गई, किस

स्वरूप में प्राप्त की गई आदि, इससे सम्बन्धित कोई भी विवरण सोने चाँदी पंजिका में दर्ज किया गया नहीं पाया गया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। परिणामस्वरूप सोने एवं चांदी की प्राप्त उपरोक्त मात्राओं के सही होने संबंधी पुष्टि नहीं की जा सकी। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी उक्त अनियमितता के बारे में आपत्ति उठाई गई थी परन्तु इन्हें दूर करनें हेतु अभी तक मंदिर न्यास द्वारा कोई भी ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी । अतः स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 अब इस बारे में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में उक्त अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

(iii) सोने चाँदी के शुद्धिकरण हेतु निर्देशानुसार विहित प्रक्रिया का पालन न करना :-

हि0प्र0 हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं विन्यास (संशोधन) अधिनियम 2010 की धारा 2 (12A (1 तथा 2) में विहित निर्देशों के अनुसार सोने एवं चांदी के शुद्धिकरण से पूर्व इसी धारा के अंतर्गत उल्लेखित समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य है तथा साथ ही यह शुद्धिकरण "Mines & Minerals Trading Corporation, Mumbai" से करवाया जाना अनिवार्य है | मंदिर न्यास द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान 387.410 ग्राम सोने तथा 25.476 किलोग्राम चांदी का शुद्धिकरण करवाया गया था परंतु कई बार आग्रह के पश्चात भी न तो संबन्धित सक्षम समिति का पूर्व अनुमोदन अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया गया तथा न ही यह शुद्धिकरण Mines & Minerals Trading Corporation, Mumbai से करवाया गया था जोकि उपरोक्त धारा में विहित निदेशों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है | यह शुद्धिकरण संबन्धित संस्थान से न करवाए जाने के कारण सोने चांदी की शुद्ध हुई [(348.43 ग्राम सोना तथा 12.949 किलोग्राम चांदी)] तथा अपव्यय हुई [38.98 ग्राम सोना तथा 12.527 किलोग्राम चांदी)] मात्राओं के सही होने बारे पुष्टि नही की जा सकी तथा कई बार आग्रह के पश्चात भी इस संदर्भ में कोई औचित्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से नियमित करवाके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए|

(iv) सोना एवं चाँदी के शेषों में भिन्नता बारे :-

मंदिर न्यास द्वारा **परिशिष्ट "घ"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी तथा सोने एवं चांदी पंजिका में अंकेक्षण अवधि के दौरान सोने एवं चांदी की प्राप्तियों तथा उपयोग से संबन्धित प्रविष्टियों की पड़ताल तथा मिलान के दौरान पाया गया कि दिनांक 31/12/2019 को पंजिका में सोने एवं चाँदी के शेष कम दर्शाये गए थे | पंजिका में शुद्ध चाँदी का ही शेष लगभग 1 किलो कम दर्शाया गया था, जिसका मूल्य लगभग ₹55000 बनता है | इस अनियमितता का सम्पूर्ण विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है तथा कई बार आग्रह के पश्चात भी इस अनियमितता के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई | अत: स्थिति स्पष्ट की जाये तथा अपेक्षित कार्रवाई उपरांत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाया |

शीर्ष	**दिनांक 31/12/19 को सोने चाँदी पंजिका में दर्शाया गया शेष (पृष्ठ संख्या 14 तथा 15) पर (क)**	**परिशिष्ट द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी में दर्शाये गए शेष | (ख)**	**पंजिका में कम दर्शाया गया शेष | (ख-क)**
सोना (शुद्ध)	248.18 ग्राम	248.18 ग्राम	शून्य
चांदी (शुद्ध)	0.641 किलोग्राम	1.644 किलोग्राम	1.003 किलोग्राम
सोना (अशुद्ध)	87.821 ग्राम	88.46 ग्राम	639 मिलीग्राम
चांदी (अशुद्ध)	20.597 किलोग्राम	20.603 किलोग्राम	6 मिलीग्राम

(v) माता के छत्रों के निर्माण संबंधी अनियमितताएं :-

मन्दिर न्यास द्वारा अंकेक्षण अवधि 1/1/12 से 31/12/14 के दौरान माता के 9 छात्रों का निर्माण कार्य करवाया गया था | मंदिर न्यास द्वारा माता के चांदी के 9 छत्रों के निर्माण हेतु 3.663 किलोग्राम चांदी जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त 34.850 ग्राम सोना इन छत्रों पर पोलिश करने हेतु जारी किया गया था । सोने के पोलिश करने के उपरान्त इन छत्रों का भार 3.684 किलोग्राम [(2.053.500 कि.ग्राम के 8 छोटे छत्र) +(1.630.500 कि0ग्राम का 1 बडा छत्र)] दर्शाया गया था

जोकि जारी की गई चांदी की मात्रा से 21 ग्राम (3.684-3.663) अधिक है। इस से ऐसा प्रतीत होता है कि सोने की जारी की गई मात्रा 34.850 ग्राम में से केवल 21 ग्राम का उपयोग चांदी से निर्मित छत्रों पर पोलिश करने के लिए किया गया था परन्तु शेष सोने की मात्रा 13.850 ग्राम (34.850-21.000) का उपयोग कहाँ किया गया इस संदर्भ में कई बार आग्रह के पश्चात भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई | गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी यह आपत्ति मंदिर न्यास के ध्यान में लाई गई थी परंतु इस संदर्भ कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: स्थिति स्पष्ट की जाये तथा वस्तुस्थिति एवं अपेक्षित कार्रवाई उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(vi) माता के छत्र तथा दरबार के निर्माण हेतु नियमों में विहित सीमा से अधिक चांदी का उपयोग/ जारी करनाः-

हि0प्र0 हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं विन्यास (संशोधन) अधिनियम 2010 की धारा 2, 12-ए (2)(B)(i) में विहित प्रावधान के अनुसार मन्दिर से सम्बन्धित विभिन्न कार्य करवाने हेतु चांदी की उपलब्ध मात्रा का 20% ही उपयोग किया जा सकता है। उक्त प्रावधानानुसार मन्दिर न्यास द्वारा केवल 9.585 किलोग्राम (47.923 किलाग्राम का 20%) चांदी का ही प्रयोग किया जा सकता था | परंतु मंदिर न्यास द्वारा 13.149 किलोग्राम चांदी जारी की गई थी जोकि निर्धारित सीमा से 3.564 किलोग्राम (13.149 -9.585) अधिक है। कई बार आग्रह के पश्चात भी इस अनियमितता के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई | अतः माता के छत्रों, दरबार तथा नेत्रों के निर्माण हेतु निर्धारित सीमा से 3.564 किलोग्राम जारी की गई चांदी की अधिक मात्रा के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(vii) माता के दरबार के निर्माण हेतु नियमों में विहित सीमा से अधिक सोने का उपयोग / जारी करनाः-

हि0प्र0 हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं विन्यास (संशोधन) अधिनियम 2010 की धारा 2, 12-ए (2)(A)(i) में विहित प्रावधान के अनुसार मन्दिर से सम्बन्धित विभिन्न कार्य

करवाने हेतु सोने की उपलब्ध मात्रा का 10% ही उपयोग किया जा सकता है । उक्त प्रावधानानुसार मन्दिर न्यास द्वारा केवल 47.59 ग्राम (475.87 ग्राम का 10%) सोने का ही उपयोग किया जा सकता था | मंदिर न्यास द्वारा 100.25 ग्राम सोने की मात्रा जारी की गई थी जोकि निर्धारित सीमा से 52.66 ग्राम (100.25 – 47.59) अधिक है। कई बार आग्रह के पश्चात भी इस अनियमितता के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई | अतः माता के दरबार के निर्माण हेतु निर्धारित सीमा से 52.66 ग्राम जारी की गई सोने की अधिक मात्रा के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(viii) हि0प्र0 हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं विन्यास अधिनियम, 1984 की एक्ट की धारा 12-ए (2)(B) (iii) के प्रावधानों को लागू न करनाः-

हि0प्र0 हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं विन्यास (संशोधन) अधिनियम 2010 की धारा 2, 12-ए (2)(B)(iii) में विहित प्रावधान के अनुसार मंदिर न्यास द्वारा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के पश्चात 60 % चांदी को सिक्के में ढाल कर श्रद्धालुओं को वर्तमान मुल्य पर विक्रय किया जाना अपेक्षित था | परंतु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि इस प्रावधान को अमल में नहीं लाया गया था | जिस कारण मंदिर न्यास को इसके फलसवरूप होने वाली आय/लाभों से भी वंचित होना पड़ा है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी यह आपत्ति मंदिर न्यास के ध्यान में लाई गई थी परंतु मंदिर न्यास द्वारा इस संदर्भ में कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी | अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(ix) हि0प्र0 हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 12-A (ii) के प्रावधानों को लागू न करनाः-

हि0प्र0 हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं विन्यास अधिनियम, 1984 की एक्ट की धारा 12-A (ii) के प्रावधानानुसार 20% सोना भारतीय स्टेट बैक की गोल्ड बांड स्कीम में निवेश

करना अपेक्षित था, परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इन प्रावधानों को अमल में नहीं लाया गया था, जिसके कारण जहाँ न्यास एक्ट के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहा है वहीं इन प्रावधानों को लागू करने से होने वाली आय से भी वंचित होना पड रहा है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 उक्त प्रावधानों को अविलम्ब लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(x) सोने एवं चांदी / स्टॉक पंजिका में सोने चाँदी से निर्मित वस्तुओं की प्रविष्टि न करना :-

मंदिर न्यास द्वारा **परिशिष्ट "घ"** द्वारा दिनांक 31/12/19 को सोने चांदी से निर्मित विभिन्न वस्तुओं (माता का दरबार, छात्र, नेत्रा, डोली आदि) की भंडार स्थिति (stock position) उपलब्ध करवाई गई थी परंतु इन वस्तुओं की प्रविष्टि संबन्धित चल स्टॉक पंजिका में नहीं दर्शाई गई जोकि अनियमित है | प्रविष्टि के अभाव में न तो लेखे स्टोर/ स्टॉक की सही स्थिति दर्शाते हैं तथा साथ ही गड़बड़ी की आशंका भी बनी रहती है | अत: स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये |

(xi) Idol register (मूर्ति पंजिका) का रख रखाव न करना :-

हि0प्र0 हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं विन्यास अधिनियम 1984 के अध्याय-III की धारा 6 में विहित निर्देशों के अनुसार मंदिर न्यास द्वारा पंजिका का रख रखाव किया जाना अपेक्षित है जिसमें मंदिर में स्थापित सभी मूर्तियों का विवरण दर्ज हो | कई बार आग्रह के पशात भी यह पंजिका अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई | इससे यह प्रतीत होता है कि इस पंजिका का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है जोकि अनियमित है | अत: स्थिति स्पष्ट की जाये तथा संबन्धित पंजिका आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाये |

(xii) सोने चांदी से निर्मित विभिन्न वस्तुओं के भार (weight) का सत्यापन न होना :-

मंदिर न्यास द्वारा **परिशिष्ट "घ"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी में सोने एवं चांदी से निर्मित विभिन्न वस्तुएं (माता के छत्र, दरबार, चोम्बा, नेत्र आदि) उनके भार सहित दर्शाई गई थी| यह प्रतीत होता है कि इन वस्तुओं का भार इनके निर्माण हेतु जारी सोने चाँदी की मात्राओं को

ध्यान में रख कर दर्शाया गया था | परंतु वास्तव में इन वस्तुओं का भार परिशिष्ट में दर्शाये गए भार के बराबर था इस तथ्य की पुष्टि कर पाना संभव नहीं हो पाया क्योंकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ऐसा कोई भी दस्तावेज़ अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे इनके भार की पुष्टि हो पाती | कई बार आग्रह के पश्चात भी इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई | अत: स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये|

(xiii) सोने एवं चाँदी के उपयोग हेतु संबन्धित सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति न दर्शाना :-

हि0प्र0 हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं विन्यास (संशोधन) अधिनियम 2010 की धारा 2 (12A (1 तथा 2) में विहित निर्देशों के अनुसार सोने चाँदी के क्रय, शुद्धिकरण, निवेश तथा प्रशमन (disposal) हेतु सक्षम समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है | माता के छत्र, दरबार, चोम्बा तथा नेत्रों के निर्माण कार्य हेतु मंदिर न्यास ने सोने चांदी की कुछ मात्रा मंदिर के पास उपलब्ध सोने तथा चाँदी के भंडार (stock) से जारी की थी तथा कुछ मात्रा का क्रय बाज़ार से किया गया था, जिसका सम्पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "घ"** पर दर्ज है | परंतु कई बार आग्रह के पश्चात भी मंदिर भंडार से सोने चांदी जारी करने हेतु एवं इनका बाज़ार से क्रय करने हेतु उक्त समिति की पूर्व अनुमति अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई | अत: स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा उक्त सक्षम समिति की कार्योत्तर अनुमति प्राप्त कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(xiv) सोने एवं चाँदी की शुद्धिकरण के दौरान अपव्यय हुई मात्राओं को सोने चाँदी के अंतिम शेष में न दर्शना :-

मंदिर न्यास द्वारा **परिशिष्ट "घ"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी में दिनांक 31/03/2019 को सोने एवं चांदी के अंतिम शेषों में सोने की 38.98 ग्राम तथा चांदी की 12.527 किलोग्राम मात्रा अपव्यय (waste) हुई दर्शाई गई थी परंतु सोने चांदी पंजिका में सोने एवं चांदी के दिनांक 31/03/2019 को दर्शाये गए अंतिम शेषों में अपव्यय हुई यह मात्राएं नहीं दर्शाई गई

थी| कई बार आग्रह के पश्चात भी इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई | अत: स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये|

सोने चांदी के अभिलेख के रख रखाव तथा उपयोग से संबन्धित उपरोक्त अनियमितताएं (i से xiv) अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 26 दिनांक 15/07/20 द्वारा मंदिर न्यास के ध्यान में लाई गई थी परंतु इनके संदर्भ में कोई भी स्पष्टीकरण / उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया |

9 व्यय:-

नियुक्तियां हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति न दर्शाना :-

हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं विन्यास अधिनियम 1984 की अध्याय II की धारा-2 में विहित निर्देशों के अनुसार मंदिर न्यास हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्त किए जाने संबंधी शक्तियाँ हि0प्र0 सरकार के पास निहित है | अंकेक्षण अवधि के दौरान एक लेखापाल, चार सेवादार तथा दो सफाई कर्मचारी मंदिर न्यास में कार्यरत थे | अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह के पश्चात भी इनकी नियुक्ति से संबन्धित सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में इन्हें दैनिक वेतन एवं परिश्रामिक के रूप में किए गए भुगतान नियमित नहीं माने जा सकते हैं | अंकेक्षण अवधि के दौरान मंदिर न्यास द्वारा **परिशिष्ट "ङ"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार सेवादारों / सफाई कर्मचारी तथा लेखापाल को ₹1919200 का भुगतान किया गया था | इसके अतिरिक्त गत अंकेक्षण अवधि [01/2011 से 12/2014, पैरा संख्या 12 (क) तथा (ख)] के दौरान सेवादारों / सफाई कर्मचारी को ₹672030 दैनिक वेतन एवं लेखापाल को ₹60000 परिश्रामिक का भुगतान किया गया था परंतु अभी तक किए गए इन भुगतानों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त कर नियमित नहीं करवाया गया था | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 31 दिनांक 20/07/20 द्वारा भी इस संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा गया था परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संदर्भ में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके

उक्त दैनिक वेतन एवं परिश्रामिक संबंधी भुगतान की गई राशियों को नियमित करवा कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए |

10 बजट को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाए बिना ही मन्दिर न्यास कोष से ₹106.77 का व्यय करनाः-

हि0प्र0 हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं विन्यास अधिनियम 1984 के अध्याय VI की धारा 22 में विहित निर्देशों के अनुसार मन्दिर न्यास का वार्षिक बजट सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाना अपेक्षित होता है | कई बार मौखिक एवं लिखित आग्रह (अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 31 दिनांक 20/07/20) के पश्चात भी अंकेक्षण अवधि से संबन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वार्षिक बजट संबन्धित अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए | इससे यह प्रतीत होता है कि मंदिर न्यास द्वारा उपरोक्त धारा में विहित निर्देशों का पालन ही नहीं किया जा रहा है जोकि अनियमित है | वार्षिक बजट पारित करवाए बिना ही किया गया ₹1,06,76,980 [1804646+ (वर्ष 2015) 1866966 (वर्ष 2016) +2006743 (वर्ष 2017) +2616081 (वर्ष 2018) +2382544 (वर्ष 2019)] का व्यय भी नियमित नहीं माना जा सकता है | गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी पैरा संख्या 13 द्वारा भी यह अनियमितता मंदिर न्यास के ध्यान में लाई गई थी परंतु इस संदर्भ में नियमानुसार कार्रवाई न करना मंदिर न्यास की लापरवाह कार्यशैली का स्पष्ट रूप से दर्शाता है | अत: इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा गत एवं वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय ₹1,88,38,328 (10676980+8161348) को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त कर नियमित करवा कर अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये | भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाये |

11 ₹1,80,000 के भुगतान संबंधी अनियमितता :-

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या No. Per(AP.B)B(15)-6/2012 dated, शिमला -171002, 27th December, 2017 में विहित निर्देशों के अनुसार " all extension on service or re-employment granted to the government servants after

attaining the age superannuation are hereby terminated without serving any notice." मंदिर न्यास द्वारा सेवानिवृत श्री चंदर शेखर से बतौर लेखापाल सेवाएँ ली जा रही थी तथा उन्हें ₹7500 परिश्रामिक (honorarium) का प्रति मासिक भुगतान किया जा रहा था | उपरोक्त पत्र में विहित निर्देशों के अनुसार संबन्धित सेवानिवृत कर्मचारियों की सेवाएँ माह 27 th दिसंबर, 2017 के बाद नहीं ली जानी थी परंतु मंदिर न्यास द्वारा लेखापाल को 12/2019 तक भुगतान किया गया था | इस प्रकार उन्हें 01/01/2018 से 12/2019 तक किया गया ₹1,80,000 (7500x24) का भुगतान मंदिर न्यास पर अनुचित प्रभार प्रतीत होता है | कई बार आग्रह के पश्चात भी इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट नही की गई | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 34 दिनांक 23/07/20 द्वारा नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संदर्भ में कोई भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया | अत: इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा किए गए उपरोक्त भुगतान ₹1,80,000 को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से नियमित करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

12 स्टोर / स्टॉक के क्रय संबंधी अनियमितताएं :-

(i) स्टोर / स्टॉक के क्रय से पूर्व हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी वित्तीय नियमावली, 2009 में इस संदर्भ में विहित संबन्धित दिशा निर्देशों का अनुसरण किया जाना अनिवार्य है परंतु मंदिर न्यास द्वारा इन दिशा निर्देशों की अनुपालना पूर्ण रूप से नहीं की जा रही थी | व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि मंदिर न्यास द्वारा निम्न तालिका में दर्शाये गई स्टोर/स्टॉक / सेवाओं के क्रय हेतु अवतरनें / निविदाएँ (Quotations / tenders) प्राप्त ही नहीं की गई थी जोकि अनियमित है | कई बार आग्रह के पश्चात भी इस संदर्भ में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: नियमानुसार क्रय औपचारिकताए पूर्ण किए बिना ही स्टोर / स्टॉक / सेवाओं के क्रय किए जाने के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस प्रकार किए गए ₹3,54,650 के अनियमित व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए |

माह	वाउचर संख्या	राशि	विवरण
07/15	35	9600/-	इलायची दाने का क्रय |
	32	8200/- (3200+5000)	मेले के दौरान ढ़ोल व नगाड़े बजाने हेतु किया गया भुगतान |
	38	291050/- विवरण :- [211050(कारीगर द्वारा प्रस्तुत वर्तमान बिल)+80000 (पूर्व में किया गया अग्रिम राशि का भुगतान)]	माता का दरबार बनाने हेतु तथा पारे के क्रय हेतु संबन्धित कारीगर को किया गया भुगतान |
06/17	29 (क्रम संख्या 3)	7500/-	मंदिर में लकड़ी व शीशे का कार्य करवाने हेतु किया गया भुगतान |
	29 (क्रम संख्या xii से xv तक)	13300/- (6100+4000+3200)	मेले के दौरान ढ़ोल व नगाड़े बजाने हेतु किया गया भुगतान |
09/18	51	25000/-	CA को भुगतान
	कुल योग	**₹354650/-**	

(ii) स्टोर / स्टॉक के क्रय से पूर्व हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी वित्तीय नियमावली, 2009 में विहित संबन्धित दिशा निर्देशों का अनुसरण किया जाना अनिवार्य है | व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि क्रय प्रक्रिया सही रूप से निष्पादित नहीं की जा रही थी | अवतरणों (Quotations) के लिफाफों पर अवतरण एकत्रित करने की तिथि तथा क्रय समिति के हस्ताक्षर नहीं थे तथा इन्हें डायरी (Diary) भी नही किया गया था | अधिकतम विक्रेताओं द्वारा अवतरणों में quote किए

गए रेट्स में टेक्स सम्मिलित है या इसके अतिरिक्त, इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया था | विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए अधिकतम बिलों पर वस्तुओं का मूल्य तथा सरकार को देय कर (tax) पृथक रूप से नहीं दर्शाया गया था | साथ ही यह अवतरनें by hand एकत्रित की गई थी या संबन्धित विक्रेताओं द्वारा इन्हें स्वयं जमा करवाया गया था, इस संदर्भ में भी स्थिति स्पष्ट नहीं होती थी | उपरोक्त दृष्टिगत स्टोर/स्टॉक के क्रय हेतु पारदर्शी एवं सही प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही थी I इस बारें आग्रह के पश्चात भी इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट नही की गई | इस अनियमितता से संबन्धित कुछ प्रकरण निम्न तालिका में उल्लेखित है | अत: स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक के क्रय हेतु पारदर्शी एवं सही प्रक्रिया अपनाया जाना सुनिश्चित किया जाये |

माह	वाउचर संख्या	राशि	विवरण
07/15	33 तथा 37	88895/- [49275+ 39710 (35610+4100)]	मंदिर के रंग रोगन हेतु सामग्री का के क्रय |
	34	32200/-	मंदिर के रंग रोगन हेतु मजदूरी का भुगतान (कुल भुगतान ₹72200)
	35	31887/- (10779+10329+10779)	किराने संबंधी वस्तुओं का क्रय
11/16	54	25000/-	मंदिर में भंडारा बनाने, बर्तन लाने वापिस ले जाने तथा भंडारे के वितरण हेतु भुगतान
	55	3150/-	मंदिर की lighting हेतु किया गया भुगतान
	58 तथा 59	66059/- तथा 12695/- (6347+3174+3174)	किराने की वस्तुओं का क्रय

	61	35555/- (10779+14372+10404)	किराने की वस्तुओं का क्रय
06/17	23 तथा 25	60000/- (30000+30000)	रंग रोगन हेतु ठेकेदार को अग्रिम राशि का भुगतान (कुल भुगतान ₹119610 वाउचर संख्या 51 माह 07/17).
	27	6890/-	Water Purifier का क्रय
09/18	47	13956/-	किराने की वस्तुओं का क्रय
08/19	36	87610/-	मंदिर के रंग रोगन हेतु ठेकेदार को मजदूरी का बकाया राशि का भुगतान | (कुल भुगतान ₹172610)
	38	195946/-	रंग रोगन सामग्री के क्रय हेतु किया गया भुगतान
	43	10437/-	किराने की वस्तुओं का क्रय
	43	13916/-	किराने की वस्तुओं का क्रय

(iii) स्टोर/स्टॉक के क्रय से पूर्व निर्देशानुसार विहित क्रय प्रक्रिया अपनाने के पश्चात जिस विक्रेता के रेट्स न्यूनतम पाये जाते हैं उस विक्रेता से स्टोर/स्टॉक का क्रय किया जाता है तथा संबन्धित विक्रेता द्वारा स्टोर/स्टॉक की आपूर्ति उन्हीं रेट्स पर की जानी अपेक्षित है | व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि क्रय से संबन्धित कुछ प्रकरणों में बिल में वस्तुओं के लगाए गए रेट्स संबन्धित विक्रेता की अवतरण तथा तुलनात्मक विवरणी में उल्लेखित रेट्स से मेल नहीं खाते थे जोकि अनियमित है | इसके अतिरिक्त कुछ प्रकरणों में विक्रेता द्वारा स्टोर/स्टॉक की उन वस्तुओं की आपूर्ति की गई थी जिनके रेट्स अवतरण तथा तुलनात्मक विवरणी में उल्लखित ही नहीं थे | उपरोक्त कमीयों के चलते किए गए क्रय को नियमानुसार क्रय औपचारिकताओं पूर्ण करने के पश्चात

किया गया नहीं माना जा सकता है | कई बार आग्रह के पश्चात भी संस्था द्वारा इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई | इस अनियमितता से संबन्धित कुछ प्रकरण निम्न तालिका में दर्शाये गए है | अत: इस बारे में संस्था स्तर पर पड़ताल की जाए तथा इस संदर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए |

माह	वाउचर संख्या	राशि	विवरण	टिप्पणी
07/15	33 तथा 37	88895/- [49275+ 39710 (35610+4100)]	रंग रोगन सामग्री के क्रय हेतु भुगतान	तुलनात्मक विवरणी में दर्शाये गए अधिकतम रेटस बिल रेट्स बिल पर दर्शाये गए रेट्स से मेल नहीं खाते थे	
	58 तथा 59	66059/- तथा 12695/- (6347+3174+ 3174)	भंडारे हेतु विभिन्न खाध सामग्रीयों का क्रय	ब्रिज कारयाना स्टोर, लोअर बाजार, सोलन से विभिन्न किराने की वस्तुओं का क्रय किया गया था	बिल (दिनांक 12/10/2016, ₹66059) के अनुसार लगभग 55 विभिन्न किराने की वस्तुओं का क्रय किया गया था परंतु अवतरण में केवल 21 वस्तुओं के रेट्स ही उल्लेखित थे	इसके अतिरिक्त बिल में केवल कुछ वस्तुएं ही अवतरण में उल्लेखित वस्तुओं के अनुसार थी तथा अधिकतम वस्तुएं प्रतिस्पर्धी रेट्स के आधार पर न्यूनतम रेट्स निर्धारित किए बिना ही क्रय की गई

				थी | साथ ही बिल (दिनांक 4/10/16, ₹6347, दिनांक 12/10/16, ₹3174 तथा दिनांक 26/10/16, ₹3174) द्वारा क्रय की गई वस्तुओं में दाख, डोना तथा काजू के रेट्स भी अवतरण में उल्लेखित नहीं थे | (iii) बिल (दिनांक 12/10/2016, ₹66059) पर वस्तुओं के रेट्स भी उल्लेखित नहीं थे |
06/17	28	212553/- (127191+55367 +2415+27580)	रंग रोगन सामग्री के क्रय हेतु भुगतान	बिलों में दर्शाई गई क्रय की गई अधिकतम वस्तुएँ मंदिर न्यास द्वारा प्रस्तुत तुलानमक विवरणी में उल्लेखित नहीं थी |
	38	195946/-	रंग रोगन सामग्री के क्रय हेतु भुगतान	05/18 से संबन्धित अवतरणों तथा तुलनात्मक विवरणी में दर्शाये गए अधिकतम रेटस बिल पर दर्शाये गए रेट्स से मिलान नहीं खाते थे |

(iv) नियमानुसार किसी भी भुगतान से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की व्यय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अपेक्षित है \| कई बार आग्रह के पश्चात भी निम्न तालिका में दर्शाये गए भुगतानों के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी की व्यय स्वीकृति अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई \| अत: स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा संबन्धित दस्तावेज़ आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए जाये \|

माह	वाउचर संख्या	राशि	विवरण
07/15	33 तथा 37	88985/- [49275+ 39710 (35610+4100)]	रंग रोगन सामग्री के क्रय हेतु भुगतान
	34	32200/-	मंदिर के रंग रोगन हेतु मजदूरी का भुगतान (कुल भुगतान ₹72200)

(v) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 98 में विहित दिशा निर्देशों के अनुसार ₹3000 से अधिक मूल्य के स्टोर / स्टॉक संबंधी वस्तुओं का क्रय समिति के द्वारा किया जाना अपेक्षित है ताकि क्रय प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे | व्यय की पड़ताल के दौरान इस संदर्भ में निम्न अनियमितताएं पाई गई :-

माह	वाउचर संख्या	राशि	विवरण	टिप्पणी
08/19	36	87610/-	मंदिर के रंग रोगन हेतु ठेकेदार को मजदूरी की बकाया राशि का भुगतान | (कुल भुगतान ₹172610)	माह 05/18 से संबन्धित अवतरणों पर क्रय समिति के हस्ताक्षर ही नहीं थे	
	38	195946/-	रंग रोगन संबंधी सामग्री हेतु किया गया भुगतान	क्रय समिति के हस्ताक्षर ही नहीं थे	
	43	10437/-	किराने की वस्तुओं का क्रय	09/18 से संबन्धित अवतरणों पर केवल दो सदस्यों के हस्ताक्षर थे	

अवतरनें क्रय समिति के सभी सदस्यों द्वारा सत्यापित की जानी अपेक्षित है जोकि नहीं किया गया था | कई बार आग्रह के पश्चात भी इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई | अत: स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इनके संदर्भ में स्वयं पड़ताल की जाए तथा इस संदर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए |

उपरोक्त अनियमिताओं (i से v) के संदर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 34 दिनांक 23/07/20 द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था जिसका कोई भी उत्तर अंकेक्षण की समाप्ति तक प्रस्तुत नहीं किया गया |

13 वाउचर संख्या 38 माह 07/15, ₹211050 बारे

उपरोक्त वाउचर की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(i) कारीगर को लगभग ₹13440 का अधिक भुगतान

मंदिर न्यास द्वारा कारीगर से माता के दरबार का निर्माण करवाया गया था | माता के दरबार के निर्माण के पश्चात संबन्धित कारीगर द्वारा ₹291050 का बिल मंदिर न्यास के समक्ष प्रस्तुत किया था | कारीगर को ₹80000 [₹40000/- (दिनांक 08/06/15 को) + ₹40000 (30/06/15 को)] का भुगतान अग्रिम राशि के रूप में पहले ही किया जा चुका था तथा उपरोक्त वाउचर द्वारा उसे शेष राशि ₹211050/- का भुगतान किया गया था | इस संदर्भ में संबन्धित प्राधिकारी की व्यय स्वीकृति के अनुसार कारीगर को ₹150 प्रति तोला के दर से बनवाई दी जानी अपेक्षित थी | बिल पर दिये गए विवरण के अनुसार दरबार के निर्माण हेतु लगभग ₹1765.425 तोले [17.65425 किलो {17.554 किलो चांदी + 0.10025 किलो सोना (100.25 ग्राम)} x 1000 / 10)] सोने चांदी का प्रयोग हुआ था | जिसके अनुसार कारीगर को ₹264814/- (1765.425 x 150) का भुगतान किया जाना अपेक्षित था जबकि उसे बनवाई हेतु ₹278250/- [₹291050 (बिल की कुल राशि) -12800(पारे के क्रय से संबन्धित राशि) का भुगतान किया गया था | इस प्रकार कारीगर को ₹13436 (278250-264814) का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है | कई बार आग्रह के पश्चात भी इस संदर्भ में कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया | अत:

स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उपरोक्त राशि की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके मंदिर न्यास कोष में जमा करवाया जाये और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(ii) मंदिर द्वारा वाउचर संख्या 38 माह 07/15 द्वारा मू० के अन्तर्गत ₹211050 का भुगतान संबन्धित कारीगर को किया था परंतु वाउचर के साथ संलग्न पारे के क्रय से संबन्धित रसीद/बिल मूल रसीद/बिल न होकर उसकी छाया प्रति थी | कई बार आग्रह के पश्चात भी मूल रसीद / बिल अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया तथा रसीद / बिल की छाया प्रति के आधार पर किए गए ₹12800 के भुगतान को नियमित नहीं माना जा सकता है | अत: स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा इस संदर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये |

(iii) माता के दरबार के निर्माण के दौरान ₹12800 मूल्य के 800 ग्राम पारे की खपत निर्माण कार्य में पूर्ण रूप से हो गई थी इस संदर्भ में कई बार आग्रह के पश्चात भी सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा सत्यापित खपत विवरणी / दस्तावेज़ अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 32 दिनांक 21/07/20 द्वारा उपरोक्त अनियमिताओं (i से iii) के संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा गया था जिसका कोई भी उत्तर अंकेक्षण की समाप्ति तक प्रस्तुत नहीं किया गया |

14 ₹500 (300+200) के अधिक भुगतान बारे

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि मंदिर न्यास द्वारा निम्नानुसार ₹500 का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया था :-

(i) वाउचर संख्या 58 (माह 07/15) द्वारा विभिन्न खाध सामग्रियों हेतु ₹66059 का भुगतान किया गया था | संबन्धित विक्रेता की अवतरण तथा तुलनात्मक विवरणी में उड़द का रेट ₹120/- प्रति किलो उल्लेखित था | परंतु 4 किलो दाल के क्रय हेतु ₹680 का भुगतान किया गया था जबकि केवल ₹480 (120x4/-) का भुगतान किया जाना अपेक्षित था | इस कारण ₹200 (680-

480) का अधिक भुगतान किया गया था | अत: स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा ₹200 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके मंदिर न्यास कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(ii) वाउचर संख्या 28 (माह 06/17, बिल संख्या 18276, दिनांक 31/05/17) द्वारा रंग रोगन से संबन्धित सामग्रियों हेतु ₹127191 का भुगतान किया गया था | संबन्धित विक्रेता की अवतरण तथा तुलनात्मक विवरणी में 3" पेंट ब्रश का रेट /- ₹90 उल्लेखित था | परंतु 10 पेंट ब्रश के क्रय हेतु ₹1200 का भुगतान किया गया था जबकि केवल ₹900 (10x90/-) का भुगतान किया जाना अपेक्षित था | इस कारण ₹300 (1200-900) का अधिक भुगतान किया गया था | अत: उक्त के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा ₹300 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके मंदिर न्यास कोष में जमा करवाने के साथ अनुपालना अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 32 दिनांक 21/07/20 द्वारा उपरोक्त अनियमिताओं (i से ii) के संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा गया था जिसका कोई भी उत्तर अंकेक्षण की समाप्ति तक प्रस्तुत नहीं किया गया |

15 राजकीय मुद्रणालय शिमला से मुद्रण कार्य न करवाकर खुले बाजार से मुद्रण का कार्य करवानाः-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर ट्रस्ट द्वारा मुद्रण के कार्य हिमालच प्रदेश राजकीय मुद्रणालय शिमला से न करवाकर खुले बाजार से करवाए थे | बाजार से मुद्रण कार्य करवाये जाने से पूर्व कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र भी राजकीय मुद्रणालय से प्राप्त नहीं किया था, जोकि निर्देशों के प्रतिकूल है। इस अनियमितता से संबन्धित कुछ प्रकरण निम्न तालिका में दर्शाये गए हैं | गत अंकेक्षण में भी यह अनियमितता मंदिर न्यास के ध्यान में लाई गई थी परंतु मंदिर न्यास द्वारा इस दिशा में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है | अंकेक्षण ज्ञापन 32 दिनांक 21/07/2020 द्वारा इस अनियमितता के संदर्भ में मंदिर न्यास से स्पष्टीकरण मांगा गया जिसका कोई भी उत्तर अंकेक्षण की समाप्तिं तक नहीं दिया गया | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में मुद्रण का कार्य राजकीय मुद्रणालय से ही करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

माह	वाउचर संख्या	विवरण	भुगतान की गई राशि
07/15	32	पहचान / ड्यूटी पत्र का क्रय/ मुद्रण	1544/-
06/17	29	यथोपरि	1830/-
10/18	56	रसीद बुक्स का मुद्रण (रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 54)	4248 /-

16 भंडारे करवाने / मंदिरों के रंग रोगन संबंधी कार्यों में अनियमितताएं :-

(i) मंदिर न्यास द्वारा नवरात्रि के दौरान वर्ष में दो बार भंडारा करवाया जाता है | मंदिर न्यास द्वारा भंडारे हेतु कुछ खाध सामग्रियों का क्रय किया जाता है तथा कुछ खाध वस्तुएँ श्रद्धालुओं द्वारा भी दान में दी जाती है | अंकेक्षण के दौरान श्रद्धालुओं से दान में प्राप्त वस्तुओं तथा उनकी खपत से संबन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित अभिलेख मांगा गया था जोकि अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया | इस से यह प्रतीत होता है कि इस अभिलेख का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है जोकि अनियमित है | इस कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान दान में प्राप्त खाध वस्तुओं तथा उनके सही खपत संबंधी आवश्यक पड़ताल नहीं की जा सकी | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये | भविष्य में दान में प्राप्त वस्तुयों के संदर्भ में रसीदें जारी की जाये तथा उनके प्राप्तियों तथा खपत से संबन्धित अभिलेख का रख-रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किए जाये |

(ii) मंदिर न्यास द्वारा वाउचर संख्या 54 माह 11/16 द्वारा संबन्धित ठेकेदार को माता के भंडारे की बनवाई, बर्तनों के लाने वापिस ले जाने हेतु तथा भंडारे कि वितरण हेतु ₹25000 का भुगतान किया गया था | यह भंडारा किस तिथि को आयोजित किया गया था, लगभग कितने लोग भंडारे में आए थे आदि, इससे संबन्धित कोई भी विवरण वाउचर पर दर्ज नहीं था | जिसके अभाव में किए गए भुगतान को न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता है | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये |

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 32 दिनांक 21/07/20 उपरोक्त अनियमिताओं (i से ii) के संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा गया था जिसका कोई भी उत्तर अंकेक्षण की समाप्ति तक प्रस्तुत नहीं किया गया |

17 स्टोर/ स्टॉक :-

अंकेक्षण के दौरान स्टोर / स्टॉक संबंधी निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः-

(i) स्टोर / स्टॉक पंजिका में प्रविष्टियाँ न किए जाने बारेः-

मन्दिर न्यास द्वारा चयनित मासों में निम्न तालिका में दर्शाई गई वस्तुओं की प्रविष्टि स्टोर / स्टॉक पंजिका में नहीं की गई थी जोकि अनियमित है। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए |

माह	वाउचर व उप वाउचर संख्या	राशि	विवरण
07/15	32 (111, 113 व 115)	2350/- (770+380+1000 +200)	मेले हेतु हार, पोस्टर, हवन सामग्री आदि का क्रय
	32 (121)	1544/-	माँ शुलिनी मेले हेतु पहचान पत्रों का क्रय
	32 (123)	150/-	पेंट का क्रय
	32 (125)	450/-	कपड़े का क्रय
	32 (127)	80/-	एसिड आदि
	32 (129)	57/-	कीलें
	32 (131)	263/-	प्लास्टिक टब
	32 (133)	400/-	थालियाँ
06/17	29	4572/-	विभिन्न तिथियों को हार, माला, हवन सामग्री आदि का क्रय

(ii) स्टोर/स्टॉक पंजिका में प्रविष्टियाँ न दर्शाना :-

निम्न तालिका में दर्शाई गई वस्तुओं की प्रविष्टि संबन्धित स्टोर / स्टॉक पंजिका में नहीं दर्शाई गई थी I अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा संबन्धित पंजिका में इन वस्तुओं की प्रविष्टि आगामी अंकेक्षण पर दर्शाई जाये |

माह	वाउचर संख्या	राशि	विवरण
11/16	59	12695/- (6347+3174+3174)	किराने संबंधी वस्तुओं का क्रय
	61	35555/- (10779+14372+10404)	यथोपरि

(iii) वाउचर संख्या 32 (उप वाउचर संख्या 147) माह 07/15 , ₹1400 (अग्रिम राशि सहित कुल भुगतान ₹6400) बारे :-

मंदिर न्यास द्वारा ₹6400 मूल्य की स्थायी स्टॉक संबंधी वस्तुओं का क्रय किया गया था | जिनका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :-

क्रम संख्या	क्रय की गई वस्तु	संख्या	रेट	राशि का भुगतान
1	रेक (Rack with storage)	1	3500/-	3500/-
2	पाइप (Round pipe)	2	650/-	1300/-
3	कुंडे	8	200/-	1600/-
			कुल योग	**6400/-**

उक्त वस्तुओं की प्रविष्टि स्टॉक पंजिका की पृष्ठ संख्या 27 पर की गई थी तथा साथ ही इन्हें जारी किया गया दर्शा कर इनका शेष शून्य दर्शाया था | परंतु इन वस्तुओं को किसे जारी किया गया, इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई | चूंकि यह स्थायी स्टॉक की वस्तुएं है, इन्हें

जारी दर्शाके स्टॉक पंजिका में इनके शेष को शून्य नहीं दर्शाया जा सकता है | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा चल संपत्ति पंजिका में इनकी प्रविष्टि करके सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाना सुनिश्चित किया जाये था अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(iv) स्टोर / स्टॉक पंजिका में वस्तुओं की प्रविष्टि संबंधी अनियमितताएं :-

क्रय की गई वस्तुओं की संबन्धित पंजिका में की गई प्रविष्टियों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि पंजिका में स्टोर / स्टॉक से संबन्धित विभिन्न वस्तुओं की प्रविष्टि सही रूप से नहीं की जा रही है | पंजिका में क्रय की गई विभिन्न वस्तुओं के लिए पृथक-2 लेखों का रख रखाव नहीं किया जा रहा था | पंजिका में केवल बिल संख्या, बिल की राशि, विक्रेता के नाम की प्रविष्टि की जा रही थी तथा अधिकतम प्रकरणों में क्रय की गई वस्तुओं का विस्तृत उल्लेख भी नहीं किया जा रहा था | जबकि क्रय की गई प्रत्येक वस्तु के लिए पंजिका में पृथक लेखे का रख रखाव किया जाना अपेक्षित है I इस अनियमिता से संबन्धित कुछ प्रकरण निम्न तालिका में दर्शाये गए है | अत: इस बारे मे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए |

माह	वाउचर व उप वाउचर संख्या संख्या	राशि	विवरण
07/15	32 (147)	1400/-	Rack, pipe,कुंडे आदि के क्रय हेतु किया गया भुगतान	
	33	49275/-	मंदिर के रंग रोगन हेतु सामग्री का क्रय	
	35	41487/- (10779+10329+10779 +9600)	किराने संबंधी वस्तुओं का क्रय	

	37 (175)	35610/-	मंदिर के रंग रोगन हेतु सामग्री का क्रय |
	37 (177)	4100/-	यथोपरि
11/16	58	66059/-	किराने संबंधी वस्तुओं का क्रय |
06/17	28	212553/- (127191+55367+2415 +27580)	मंदिर के रंग रोगन हेतु सामग्री का क्रय |
08/19	38	195946/-	यथोपरि
	43	10437/-	किराने संबंधी वस्तुओं का क्रय
	43	13916/-	यथोपरि |

(v) स्टोर / स्टोक का भौतिक सत्यापन (Physical verification) न करवाए जाने बारेः-

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह के पश्चात भी स्टोर / स्टोक के भौतिक सत्यापन करवाए जाने से सम्बन्धित अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया | इस से प्रतीत होता है कि मंदिर न्यास द्वारा स्टोर / स्टॉक संबंधी वस्तुओं का नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवाया ही नही जा रहा है, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की वित्तीय नियमावली 2009, के नियम 140 तथा 141 में दिए निर्देशों के प्रतिकूल है | भौतिक सत्यापन के अभाव में न तो स्टोर / स्टॉक में उपलब्ध उपयोगी वस्तुओं की वास्तविक स्थिति का बोध होता है तथा न ही अनुपयोगी वस्तुओ का समय पर नियमानुसार निस्तारण (Disposal) किया जा सकता है। गत अंकेक्षण में भी यह अनियमितता मंदिर न्यास के ध्यान में लाई गई थी परंतु मंदिर न्यास द्वारा इस दिशा में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है | स्टोर/स्टॉक से संबन्धित वस्तुओं का अंतिम बार भौतिक सत्यापन किस तिथि / वर्ष में किया गया था इस संदर्भ में भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई | अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में नियमानुसार

अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में भी स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन नियमानुसार नियमित रूप से करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए |

(vi) विभिन्न पंजिकाओं को Inventory Register में दर्ज न किये जाने बारेः-

मन्दिर न्यास के विभिन्न पंजिकाओं की पड़ताल करने पर पाया गया किसी भी पंजिका को मुख्य स्टोर से जारी करते समय Inventory Register में दर्ज नही किया गया था, जिसके अभाव में मन्दिर न्यास द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे विभिन्न पंजिकाओं के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं होती है| गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी यह अनियमितता मंदिर न्यास के ध्यान में लाई गई थी परंतु इस संदर्भ में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी जोकि मंदिर न्यास की लापरवाह कार्यशैली को दर्शाता है | अतः मन्दिर न्यास की सभी रोकड़ बहियों, स्टोर / स्टॉक पंजिकाओं तथा अन्य विविध पंजिकाओं को Inventory Register में दर्ज करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

अंकेक्षण ज्ञापन 33 दिनांक 21/07/2020 द्वारा स्टोर / स्टॉक के रख रखाव संबंधी उपरोक्त अनियमितताएं (i से vi) मंदिर न्यास के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस बारे में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया |

18 विविध :-

(i) पंजिकाओं का रख-रखाव न करनाः-

(क) मन्दिर न्यास द्वारा अग्रिम पंजिका (Advance register) का रख रखाव नही किया जा रहा था। गत अंकेक्षण में भी यह अनियमितता मंदिर न्यास के ध्यान में लाई गई थी परंतु मंदिर न्यास द्वारा इस दिशा में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी जोकि न्यास की लापरवाह कार्यशैली को दर्शाता है | अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा उक्त अभिलेख का रख रखाव किया जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) उक्त के अतिरिक्त मंदिर न्यास द्वारा बिजली, पानी, दूरभाष से संबन्धित बिलों / उनके भुगतान संबंधी विवरण तथा अन्य आकस्मिक व्यय (स्टोर/स्टॉक के क्रय के अतिरिक्त) के विवरण भी किसी पंजिका में दर्ज नहीं किये जा रहे थे | पंजिका के रख रखाव के अभाव में बिलों की

रीडिंग्स (अंतिम तथा आरंभिक) ,बिलों के निरंतर एवं सही भुगतान आदि के संदर्भ में चैक रख पाना संभव नहीं होता है | अत: सुझाव दिया जाता है कि आकस्मिक व्यय पंजिका (coniengent register) का रख-रखाव किया जाये जिसमें अन्य भुगतानों (स्टोर/ स्टॉक के क्रय के अतिरिक्त) से संबन्धित विवरण दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(ii) बिलों / कैश मेमों पर निर्देशानुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र न दिए जाने बारेः-

व्यय की पडताल के दौरान पाया गया कि अधिकतम बिलों / केश मैमो पर हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 97 तथा 98 में विहित निर्देशों के अनुसार प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे है, जोकि सरकारी निर्देशों की अवहेलना हैं। गत अंकेक्षण में भी यह अनियमितता मंदिर न्यास के ध्यान में लाई गई थी परंतु मंदिर न्यास द्वारा इस दिशा में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है | अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त नियमों में दिए गए निर्देशों की नियमित रूप से अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए।

(iii) विहित प्रपत्र पर भुगतान न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा सेवादारों तथा सफाई कर्मचारी को सरकार द्वारा समय-2 पर निर्धारित दैनिक भौगियों के रेट के आधार पर भुगतान किया जा रहा था परंतु इनकी हाजरी दैनिक भौगियों हेतु निर्धारित प्रपत्र पर नहीं लगाई जा रही थी | गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी इस अनियमितता बारे आपत्ति उठाई गई थी परन्तु मंदिर न्यास इस संदर्भ में कोई भी कार्रवाई नही की गई थी । अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(iv) वाउचर संख्या 32 (उप वाउचर संख्या 137) माह 07/15 , ₹2200 बारे

उपरोक्त वाउचर की पड़ताल के दौरान पाया गया कि मंदिर न्यास द्वारा माता के दरबार का निर्माण करने वाले कारीगरों के खाने, मिठाई, थैले आदि के लिए ₹2200 [2000(खाना)+ मिठाई (100) + थैला तथा पानी (100)] का व्यय किया था | यह भुगतान दरबार की बनवाई के अतिरिक्त किया गया था परंतु इस मंदिर अधिनियम के किस नियम के अंतर्गत इस प्रकार के भुगतान हेतु प्रावधान था, इस संदर्भ में कई बार आग्रह के पश्चात भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई |

अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा किए गए व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

अंकेक्षण ज्ञापन 30 दिनांक 20/07/2020 द्वारा भी उपरोक्त अनियमितताएं (i से iv तक) मंदिर न्यास के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक इनके संदर्भ में कोई भी उत्तर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया |

(v) चल व अचल सम्पति के अभिलेख बारेः-

मंदिर न्यास के तुलन पत्र दिनांक मार्च, 2018 में निम्न तालिका में दिये गए विवरण के अनुसार संपत्तियाँ तथा उनका मूल्यांकन दर्शाया गया था | इनके संदर्भ में सम्पूर्ण विवरण, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित इनके मूल्यांकन से संबन्धित दस्तावेज़, चल, अचल पंजिका आदि अवलोकन हेतु मांगे गए थे जोकि कई बार आग्रह के पश्चत्त भी प्रस्तुत नहीं किए गए | गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी चल अचल संपत्ति पंजिका के रख रखाव संबंधी आपत्ति उठाई गई थी तथा इस अंकेक्षण के दौरान भी यह पंजिका एवं उपरोक्त अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गए जो स्पष्ट रूप से मंदिर न्यास की लापरवाह कार्यशैली दर्शाता है | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 30 दिनांक 20/07/2020 तथा 34 दिनांक 23/07/20 द्वारा इस अभिलेख की मांग की गई थी जिसका कोई भी उत्तर नहीं दिया गया | अतः इस अनियमितता के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए और मन्दिर न्यास की चल अचल सम्पत्ति का पूर्ण अभिलेख तैयार करके सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाकर संबन्धित दस्तावेजों सहित अंकेक्षण को दिखाया जाये |

क्रम संख्या	विवरण	दिनांक 31/03/2018 को
1	बिल्डिंग	7700800/-
2	सोना	1024000/-
3	चाँदी	425000/-
4	चल संपत्ति	258843/-
5	Water Purifier	6890/-
	कुल योग	**₹9415533/-**

(vi) अभिलेख प्रस्तुत न करना :-

वाउचर संख्या 41 (माह 08/19) द्वारा मंदिर न्यास ने ₹20000 का भुगतान " आश्रय कथेड़ सोलन, गो सदन " को माह 06 तथा 07/19 हेतु किया गया था | चर्चा के दौरान अवगत

करवाया गया कि उपरोक्त संस्था को माह 06/19 से ₹10000 मासिक दान दिया जाना स्वीकृत किया गया था | परंतु कई बार आग्रह के पश्चात भी इस संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अंकेक्षण के अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 32 दिनांक 21/07/20 द्वारा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवलोकन हेतु मांगी गई थी जोकि अंकेक्षण की समाप्ति तक प्रस्तुत नहीं की गई | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा संबन्धित अभिलेख अंकेक्षण पर दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाये |

19 **लधु आपत्ति विवरणिका:-** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

20 **निष्कर्ष:-** लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है |

(राम सिंह चौहान)
उप निदेशक,
हि0प्र0, राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–09
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14) 95/12–II खण्ड–14 दिनांकः शिमला–09
प्रतिलपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1 अतिरिक्त मुख्य सचिव (भाषा एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2.
2 उपायुक्त सोलन एवं आयुक्त मन्दिर न्यास माता चिन्तपूर्णी, जिला सोलन, (हि0प्र0)।
3 निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–09
पंजीकृत 4 मन्दिर अधिकारी, श्री शूलिनी मन्दिर न्यास श्री शूलनी, तहसील सोलन जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उतर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(राम सिंह चौहान)
उप निदेशक,
हि0प्र0, राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–09
फोन नं0 0177–2620881

परिशिष्ट "क" **पैरा सं0 1 (घ)**

अंकेक्षण प्रतिवेदन 05/10/2005 से 31/12/2011 तक			
क्रम संख्या	**पैरा संख्या**	**निर्णीत / अनिर्णीत**	**विवरण**
1	3 (ख)(i), (ii), (iii), (iv)	अनिर्णीत	
2	4 (क),(ख), (ग)	अनिर्णीत	
3	5	अनिर्णीत	
4	6 (क), (ख)	अनिर्णीत	
5	7(क),(ख),(ग),(घ)(ड)(च)(छ) (i), (ii) (ज) (i), (ii)	अनिर्णीत	
6	8	अनिर्णीत	
7	9	अनिर्णीत	
8	10	अनिर्णीत	
9	11 (क), (ख)	अनिर्णीत	
10	12 (क), (ख)	अनिर्णीत	
11	14	अनिर्णीत	
12	15	निर्णीत	अपेक्षित कार्रवाई उपरांत, रसीद संख्या 5560 दिनाक 07/07/20 द्वारा `₹824 द्वारा जमा तथा बैंक पास बुक में दिनांक 9/7/20 को जमा| रोकड़ बही में ₹824 की प्रविष्टि आगामी अंकेक्षण पर दर्शाई

			जाये	
13	16	अनिर्णीत	
14	18	निर्णीत	पैरा पुन: प्रारूपित किया गया	
15	19	निर्णीत	पैरा पुन: प्रारूपित किया गया	
अंकेक्षण प्रतिवेदन 01/01/2012 से 31/12/2014 तक			
क्रम संख्या	**पैरा संख्या**	**निर्णीत / अनिर्णीत**	**विवरण**
1	3	निर्णीत	अपेक्षित कार्रवाई उपरांत
2	4	निर्णीत	वित्तीय स्थिति पुन: प्रारूपित की गई
3	5	निर्णीत	अपेक्षित कार्रवाई उपरांत
4	6	निर्णीत	सावधि निवेश संबंधी स्थिति पुन: प्रारूपित की गई
5	7	अनिर्णीत	
6	8 (क)	अनिर्णीत	
7	8(ख)	निर्णीत	अपेक्षित कार्रवाई उपरांत
8	8 (ग)	अनिर्णीत	
9	9 (क)	निर्णीत	सोने चांदी से संबन्धित स्थिति पुन: प्रारूपित की गई
10	9 (ख)	अनिर्णीत	
11	9 (ग)	निर्णीत	पैरा पुन: प्रारूपित किया गया	
12	9 (घ)	निर्णीत	अपेक्षित कार्रवाई उपरांत
13	9 (ङ)	अनिर्णीत	
14	9 (च)	अनिर्णीत	

15	9 (छ)	अनिर्णीत	
16	10(क)	अनिर्णीत	
17	10(ख)	अनिर्णीत	
18	11	अनिर्णीत	
19	12 (क)	निर्णीत	पैरा पुन: प्रारूपित किया गया |
20	12 (ख)	निर्णीत	पैरा पुन: प्रारूपित किया गया |
21	13	निर्णीत	पैरा पुन: प्रारूपित किया गया |
22	14	अनिर्णीत	
23	15	निर्णीत	अपेक्षित कार्रवाई उपरांत, रसीद संख्या 3401 दिनाक 26/03/15 द्वारा जमा |
24	16	निर्णीत	अपेक्षित कार्रवाई उपरांत, रसीद संख्या 5560 दिनाक 07/07/20 द्वारा ₹300 द्वारा जमा तथा बैंक पास बुक में दिनांक 9/7/20 को जमा रोकड़ बही में ₹300 की प्रविष्टि आगामी अंकेक्षण पर दर्शाई जाए I
25	17	अनिर्णीत	
26	18 (क)	अनिर्णीत	
27	18 (ख)	अनिर्णीत	
28	19	निर्णीत	पैरा पुन: प्रारूपित किया गया
29	20	अनिर्णीत	

30	21	अनिर्णीत	
31	22 (क)	अनिर्णीत	
32	22 (ख)	निर्णीत	पैरा पुन: प्रारूपित किया गया
33	22 (ग)	निर्णीत	पैरा पुन: प्रारूपित किया गया
34	22 (घ)	निर्णीत	पैरा पुन: प्रारूपित किया गया
35	22 (ड)	निर्णीत	पैरा पुन: प्रारूपित किया गया
36	22 (च)	निर्णीत	पैरा पुन: प्रारूपित किया गया

अनिर्णीत पैरों का सार

दिनाक 31.12.14 को अनिर्णीत पैरों का प्रारम्भिक शेष	51
(+) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	16
(–) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरे	22
दिनांक 31.12.19 को अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	45